194 34 69 केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) में सीडीए पैटर्न का अनुपालन करने वाले सीपीएसई कर्मचारियों का वेतन संशोधन

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 14.10.2008 और 20.01.2009 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने और व्यय विभाग के दिनांक 13.11.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 01/01/2008–आईसी की प्रतिलिपि उपर्युक्त विषय में उल्लिखित सीपीएसई के लिए सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न करने का निदेश हुआ है।

2. व्यय विभाग के दिनांक 13.11.2009 के कार्यालय ज्ञापन और डीपीई के दिनांक 14.10.2008 और 20. 01.2009 में दर्शाई गई शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अपने नियंत्रणाधीन ऐसे सीपीएसई (मूल रूप से डीपीई के दिनांक 12.06.1990 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित 69 सीपीएसई), जो सीडीए पैटर्न पर वेतनमानों का अनुपालनकर रहे हैं, की सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए उनके ध्यान में लाने का अनुरोध है।

ऐसे पदों, जो 01.01.2006 की स्थिति के अनुसार संशोधन पूर्व 6500–10500 रुपए के वेतनमान में मौजूद थे और जिन्हें (पीबी)–2 में 4200 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ सामान्य प्रतिस्थापन वेतन ढांचा स्वीकृत किया गया था, को वेतन बैंड (पीबी)–2 में 4600 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ संशोधित वेतन ढांचा स्वीकृत किया जाना।

1. छठे वेतन आयेाग ने संशोधन पूर्व तीन वेतनमानों अर्थात 5000–8000 रुपए, 5500–9000 रुपए और 6500–10500 रुपए को आमेलित करने की सिफारिश की और उन्हें वेतन बैंड –2 में 4200 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ संशोधित वेतन ढांचे में प्रतिस्थापित किया। अपनीरिपोर्ट के पैरा 2.2.21 (v) के जरिए आयोग ने सिफारिश की कि इन तीन वेतनमानों को आमेलित किए जाने के परिणामस्वरूप कुछ पदों, जो फीडर और पदोन्नत्ति ग्रेड के रूप में थे, उन्हें एक समान ग्रेड में रखा जाएगा। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे पदों की कुछ श्रेणियों को 4600 रुपए का उच्चतर ग्रेड वेतन देने के लिए विशेष सिफारिशें कीं। जहां तक अन्य पदों का संबंध है, तो आयोग ने सिफारिश की कि सबसे पहले यह देखा जाए कि क्या इन तीन वेतनमानों में मौजूदा पदों को किसी प्रकार्यात्मक बाधा के बिना आमेलित किया जा सकता है और यदि यह संभव है तो ऐसा किया जाना चाहिए । इसके अलावा आयोग ने यह भी सिफारिश की कि प्रकार्यात्मक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इन वेतनमानों में मौजूदा पदों को आमेलित करना यदि व्यवहार्य नहीं हैं, तो

5000–8000 और 5500–9000 रुपए के वेतनमान वाले पदों को पे बैंड –2 में 4600 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 6500–10500 रु. के वेतनमान वाले पदों में यह सोचकी आमेलित किया जाना चाहिए कि वे संशोधन पूर्व 7450–11500 रु. के वेतनमान में हैं, ऐसी स्थिति में 6500–10500 रु. के वेतनमान से अपग्रेड कर उन्हें 7450–11500 रुपए के वेतनमान वाले पदों के साथ आमेलित किया जाना चाहिए।

2. छठे वेतन आयोग की उपर्युक्त सिफारिशों को सीसीएस (आरपी) नियमावली 2008 की पहली अनुसूची के भाग–ख और ग में अनुसूची। के पैरा (।।) के जरिए अधिसूचित किया गया। जहां एक ओर सीसीएसआरपी नियमावली की पहली अनुसूची का भाग 'ख' सामान्य श्रेणी के स्टाफ के लिए संशोधित वेतनमानों से संबंधित हे, वहीं दूसरी ओर भाग 'ग'के अंतर्गत मंत्रालयों, विभागों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुछ पदों के लिए संशेाधित वेतनढ ांचा अधिसूचित किया गया है। नियमावली के उक्त प्रावधान में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि धारा 1 के पैरा 2 की शर्तों में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से उन्नयन किया जाए।

3. सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2008 की अधिसूचना के परिणामस्वरूप प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से व्यय विभाग को ऐसे पदों के उन्नयन के प्रस्ताव वाले बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं, जो 01.01.2006 की स्थिति के अनुसार संशोधन पूर्व 6500–10500 के वेतनमान में थे, और उन्हें पे बैंड 2 में 4600 रुपए का ग्रेड वेतन दिए जाने का प्रस्ताव किया गया था। मामले पर विचार किया गया है और अब यह निश्चय किया गया है कि ऐसे पद, जिन्हें वेतन बैंड–2 में 4200 के ग्रेड वेतन के साथ सामान्य प्रतिस्थापन वेतन ढांचा स्वीकृत किया गया था, को 01.01.2006 से संशोधन पूर्व 7450–11500 के वेतनमान के समतुल्य वेतन बैंड 2 में 4600 रुपए का ग्रेड वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा सीसीएस (आरपी) नियमावली 2008 के उपर्युक्त प्रावधानों के संदर्भ में यदि कोई पद पहले से ही संशोधन पूर्व 7450–11500 के वेतनमान में मौजूद है, ऐसे मामले में संशोधन पूर्व 6500–10500 रुपए के वेतनमान वाले पदों को अपग्रेड कर संशोधन पूर्व 7450–11500 रुपए के वेतनमान वाले पदों के साथ आमेलित किया जाना चाहिए।

4. तदनुसार, सीसीएस (आरपी), नियमावली 2008 के नियम 6 के संदर्भ में संशोधन पूर्व 6500–10500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों, जिन्हें पहले 4200 रुपए का ग्रेड वेतन स्वीकृत किया गया था और जिन्होंने नियमावली की दूसरी अनुसूची में विहित प्रपत्र में संशोधित वेतन ढांचे में वेतन आहरित करने के लिए पहले ही अपना विकल्प दे दिया था, का संशोधित वेतन सीसीएस (आरपी) नियमावली – 2008 के अनुबंध 4 (क) में दिए गए उदाहरणों के अनुसार पुनः निर्धारित किया जाएगा।

5. ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों, जो संशोधन पूर्व 6500–10500 रुपए के वेतनमान में थे, और जिन्हें पहले 4200 रुपए का ग्रेड वेतन स्वीकृत किया गया था और जिन्होंने सीसीएस (आरपी) नियमावली 2008 के अंतर्गत अपने वेतन निर्धारण हेतु विकल्प दिया था, के मामले में इस विभाग के दिनांक 30 अगस्त 2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में विहित किए अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

यदि कोई सरकारी कर्मचारी संशोधित वेतन ढांचे में आने के लिए अपने पूर्व में दिए गए विकल्प को संशोधित करना चाहता है, तो उसे इस विभाग को कोई संदर्भ दिए बिना ऐसा करने की अनुमति दी जाए।

6. वेतन बैंड–2 में 4600 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ संशोधित वेतन ढांचे में वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप एरियर की गणना फिर से की जाएगी और पूरी राशि के संदर्भ में एरियर के अंतर की राशि का तत्काल भुगतान किया जाएगा। एरियर के आहरण का तरीका इस विभाग के दिनांक 30.08.2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में पहले ही दर्शाया गया है।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2 (54)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–**XVI**/2010, दिनांक 09 सितम्बर, 2010)

*****